



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/डीओआर/2025-26/253

डीओआर.सीआरई.आरईसी. सं.172/07-01-004/2025-26

28 नवंबर, 2025

**भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025 (01
अप्रैल 2026 तक अद्यतन किया गया)**

विषय-सूची

प्रस्तावना.....	3
अध्याय I – प्रारंभिक	4
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ	4
बी. प्रयोज्यता.....	4
सी. परिभाषाएँ.....	4
अध्याय II – बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ.....	7
अध्याय III – डिजिटल उधार.....	8
ए. बैंक-एलएसपी व्यवस्थाओं के लिए सामान्य आवश्यकताएँ	8
बी. आचरण एवं ग्राहक संरक्षण संबंधी आवश्यकताएँ	10
सी. प्रौद्योगिकी और डेटा संबंधी आवश्यकताएँ.....	13
डी. ऋण सूचना और डीएलए की रिपोर्टिंग.....	14
ई. चूक की स्थिति में नुकसान साझा करने की व्यवस्था.....	16
एफ. सामान्य प्रावधान	21
अध्याय IV – सोने और चांदी के संपार्श्विक पर उधार	22
ए. सामान्य प्रावधान	22
बी. प्रतिबंध और सीमाएं	23
सी. सोने और चांदी की संपार्श्विक का मूल्यांकन और परख	24
डी. ऋण-मूल्य अनुपात (एलटीवी).....	24
ई. अन्य प्रावधान	25

अध्याय V – सूक्ष्म-वित्त ऋण	27
ए. परिभाषा	27
बी. पारिवारिक आय का मूल्यांकन.....	27
सी. किसी परिवार के ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों पर सीमा	29
डी. अन्य प्रावधान.....	30
अध्याय VI – गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाएं.....	31
ए. सामान्य शर्तें	31
बी. गारंटियाँ	32
सी. सह-स्वीकृतियाँ.....	35
डी. अन्य विशिष्ट गारंटियों के लिए आवश्यकताएँ	36
ई. अपवर्जन और अन्य पहलू.....	36
अध्याय VII – आवास ऋण	38
ए. व्यक्तियों को आवास ऋण – मात्रा, एलटीवी अनुपात और जोखिम भार	38
बी. आवास क्षेत्र: नवोन्मेषी आवास ऋण उत्पाद - आवास ऋणों का अग्रिम संवितरण	38
सी. भवन का निर्माण / बना-बनाया मकान	39
अध्याय VIII - ऋण सुविधाओं पर अन्य अनुदेश.....	41
ए. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) की प्रतिभूति पर अग्रिम.....	41
बी. अल्प बचत लिखतों/योजनाओं के अधिग्रहण के लिए ऋण की मंजूरी.....	41
सी. हीरा निर्यातकों को प्रदत्त ऋण.....	41
अध्याय IX – निरसन और अन्य प्रावधान.....	42
ए. निरसन और व्यावृत्ति	42
बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं.....	42
सी. व्याख्याएँ.....	42
अनुबंध I.....	44
अनुबंध II	45
अनुबंध III	46

प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक को सांविधिक रूप से यह अधिकार प्राप्त है कि वह देश की ऋण प्रणाली का संचालन इस तरह से करे जिससे देश को लाभ हो। इस अधिकार का पालन करते हुए, रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणालियों, ऋण उत्पादों और वितरण तंत्रों में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करता है, साथ ही व्यवस्थित विकास, वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं व उधारकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बैंक ऋण के क्षेत्र में क्रमिक अविनियमन के कारण, विवेकपूर्ण मानदंड मुख्य रूप से नियामक सुरक्षा उपायों के रूप में कार्य करते हैं। समय-समय पर जारी किए गए ये मानदंड, विनियमित संस्थाओं को ऋण-संबंधी उत्पादों और सेवाओं के डिज़ाइन तथा वितरण के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन निदेशों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण सुविधाओं पर जारी किए गए अनुदेशों को समेकित किया गया है।

तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21, और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा नीचे विनिर्दिष्ट इन निदेशों को जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश इसके जारी होने के तुरंत बाद लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया जाए।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (इसके बाद 'आरआरबी'/'बैंक' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

सी. परिभाषाएँ

4.

(1) इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होंगी:

- (i) 'वार्षिक प्रतिशतता दर' (एपीआर) का अर्थ है, भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – ज़िम्मेदार व्यावसायिक आचरण) निदेश, 2025 के तहत परिभाषित एपीआर।
- (ii) 'लाभार्थी' का अर्थ उस पार्टी से है जिसके पक्ष में किसी आरई द्वारा एनएफबी सुविधा जारी की गई है।
- (iii) 'एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण' का अर्थ है ऐसे ऋण जहां मूलधन और ब्याज दोनों ऋण की परिपक्वता पर भुगतान के लिए देय हैं।
- (iv) 'बिलों की सह-स्वीकृति' का अर्थ बिल के आहरक (विक्रेता / निर्यातक) को नियत तिथि पर भुगतान करने की वचनबद्धता से है, यदि क्रेता / आयातक उस तिथि को भुगतान करने में विफल रहता है।
- (v) 'संपार्श्विक प्रतिभूति' या 'संपार्श्विक' का अर्थ है उधारकर्ता की मौजूदा आस्ति जो ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा का लाभ उठाने और सुरक्षित करने के लिए ऋणदाता के पास गिरवी रखी गई है।
- (vi) 'उपभोग ऋण' का अर्थ है कोई भी अनुमेय ऋण जो बाद में परिभाषित 'आय अर्जक ऋण' की परिभाषा में उपयुक्त नहीं बैठता है।
- (vii) 'चूक हानि गारंटी' (डीएलजी) का अर्थ बैंक और किसी अन्य संस्था के बीच कोई संविदात्मक व्यवस्था है, जिसे जिस नाम से भी जाना जाए, जिसके तहत दूसरी संस्था बैंक को, बैंक के ऋण पोर्टफोलियो के एक तय प्रतिशत तक, चूक की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने

- की गारंटी देती है। इस तरह की कोई भी दूसरी अप्रत्यक्ष गारंटी, जो बैंक के ऋण पोर्टफोलियो के प्रदर्शन से जुड़ी हो और पहले से तय हो, वह भी डीएलजी की परिभाषा के दायरे में आएगी।
- (viii) 'डिजिटल उधार' का अर्थ है एक दूरस्थ और स्वचालित ऋण प्रक्रिया, जिसमें मुख्य रूप से नए ग्राहक हासिल करना, ऋण मूल्यांकन, ऋण अनुमोदन, संवितरण, वसूली और संबंधित ग्राहक सेवा के लिए निर्बाध डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
- (ix) 'डिजिटल लेंडिंग ऐप्स / प्लेटफॉर्म (डीएलए)' का अर्थ ऐसे मोबाइल और/या वेब-आधारित एप्लिकेशन हैं, जो स्वतंत्र रूप से या किसी एप्लिकेशन के कार्यों के समूह के हिस्से के रूप में, यूजर इंटरफ़ेस के साथ डिजिटल उधार सेवाएँ प्रदान करते हैं। डीएलए में बैंक के एप्लिकेशन के साथ-साथ वे एप्लिकेशन भी शामिल होंगे जिन्हें बैंक द्वारा नियुक्त उधार सेवा प्रदाता (एलएसपी) द्वारा संचालित किया जाता है, ताकि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा आउटसोर्सिंग दिशानिदेशों के अनुरूप कोई भी ऋण सुविधा सेवाएँ प्रदान की जा सकें।
- (x) 'गारंटी' का अर्थ है, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार, किसी अन्य पक्ष द्वारा अपना कार्य पूरा न करने या चूक करने की आकस्मिक स्थिति में, उसके वादे को पूरा करने या उसकी देनदारी का निर्वहन करने की एक संविदा।
- (xi) 'गारंटीकर्ता' का अर्थ उस पक्ष से है जो गारंटी जारी करता है।
- (xii) 'आय अर्जक ऋण' का अर्थ है उत्पादक आर्थिक गतिविधियों के उद्देश्य के लिए दिए गए ऋण, जैसे कि कृषि ऋण, व्यवसाय या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ऋण, उत्पादक आस्तियों के निर्माण या अधिग्रहण के लिए ऋण आदि।
- (xiii) 'गहना' का अर्थ है वे वस्तुएं जिन्हें व्यक्तिगत सजावट के रूप में पहनने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- (xiv) 'उधार सेवा प्रदाता' (एलएसपी) का अर्थ बैंक (किसी अन्य ऋणदाता सहित) के उस एजेंट से है जो रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा आउटसोर्सिंग दिशानिदेशों के अनुरूप बैंक की ओर से किसी विशिष्ट ऋण या ऋण पोर्टफोलियो की वसूली, सर्विसिंग, निगरानी, मूल्य निर्धारण और हामीदारी (अंडरराइटिंग) से संबंधित सेवाओं, नए ग्राहक हासिल करने में बैंक के एक या अधिक डिजिटल उधार कार्य संपन्न करता है।
- बशर्ते कि*, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा निदेशों के संदर्भ में केवल भुगतान एग्रीगेटर (पीए) सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं इन निदेशों के दायरे से बाहर रहेंगी, एलएसपी की भूमिका निभाने वाला कोई भी पीए इन निदेशों के अध्याय III का पालन करेगा।

- (xv) 'बाध्यताधारी' का अर्थ है वह पक्ष जिसके दायित्वों (चाहे वे वित्तीय हों या अन्य) के लिए एनएफबी सुविधा जारी की गई है। गारंटी के मामले में, बाध्यताधारी को 'प्रमुख देनदार' भी कहा जा सकता है, जैसा कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत परिभाषित किया गया है।
- (xvi) 'आभूषण' से अर्थ उन वस्तुओं से है जो किसी वस्तु को सजाने, सजावटी सामान या घरेलू सामान के रूप में उपयोग की जाती हैं, उन वस्तुओं को छोड़कर जो ऊपर दी गई 'गहना' की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं।
- (xvii) 'प्राथमिक स्वर्ण' और 'प्राथमिक चांदी' का अर्थ है गहने, आभूषण और सिक्कों के अलावा किसी भी रूप में सोना और चांदी।
- (xviii) 'एनएफबी सुविधा का प्रतिभूत अंश' का अर्थ सुविधा का वह अंश है जो वास्तविक आधार पर अनुमानित संपार्श्विक/ मूर्त प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा कवर की गई है।
- (xix) इन निदेशों के अध्याय IV के संदर्भ में 'टॉप-अप ऋण' का अर्थ है—मूल ऋण की अवधि के दौरान, बकाया ऋण के अलावा स्वीकृत किया जाने वाला एक अतिरिक्त ऋण, जो उसी मौजूदा ऋण के लिए पहले से गिरवी रखे गए संपार्श्विक के आधार पर दिया जाता है।
- (2) अन्य सभी अभिव्यक्तियों, जब तक कि यहाँ परिभाषित न की गई हों, का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, या जैसा कि वाणिज्यिक बोलचाल में प्रयोग किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

अध्याय II – बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ

5. बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति को लागू करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों, जहां तक बैंक ऐसी गतिविधियां करता है, को शामिल किया जाएगा। इस नीति में जिन विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान दिया जाना है, उनका ब्यौरा इन निदेशों के संबंधित पैराग्राफ में दिया गया है।

- (1) डीएलजी सहित डिजिटल उधार
- (2) सोने और चांदी के संपार्श्विक पर उधार
- (3) सूक्ष्म वित्त ऋण
- (4) आवास वित्त
- (5) गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सुविधाएँ

अध्याय III – डिजिटल उधार

ए. बैंक-एलएसपी व्यवस्थाओं के लिए सामान्य आवश्यकताएँ

6. एलएसपी के संबंध में उचित जांच-पड़ताल संबंधी आवश्यकताएं

- (1) एलएसपी को शामिल करने वाले बैंक द्वारा डिजिटल उधार बैंक और एलएसपी के बीच एक संविदात्मक करार के तहत दिया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से प्रत्येक पक्ष की संबंधित भूमिकाओं, अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करेगा।
- (2) कोई बैंक डिजिटल उधार देने के लिए एलएसपी के साथ करार निष्पादित करने से पहले एलएसपी की तकनीकी क्षमताओं, डेटा गोपनीयता नीति और स्टोरेज प्रणाली की सुदृढ़ता, उधारकर्ता के साथ आचरण में निष्पक्षता, आचरण के पिछले रिकॉर्ड और सभी लागू विनियमों व कानूनों का पालन करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्नत उचित जांच-पड़ताल का संचालन करेगा।
- (3) कोई बैंक संविदात्मक करार की शर्तों के आधार पर एलएसपी के आचरण की आवधिक समीक्षा करेगा और इससे किसी भी विचलन की स्थिति में उचित कार्रवाई करेगा।
- (4) कोई बैंक अपनी नीति के हिस्से के रूप में, एलएसपी की सहायता से उत्पन्न ऋण पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त निगरानी तंत्र निर्धारित करेगा।
- (5) कोई बैंक एक वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले एलएसपी को जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि एलएसपी भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- जिम्मेदार व्यवसाय आचरण) निदेश, 2025 में लागू अनुदेशों और समय-समय पर जारी अन्य संबंधित अनुदेशों का अनुपालन करता है।
- (6) कोई बैंक [भारतीय रिज़र्व बैंक \(वाणिज्यिक बैंक - आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन\) निदेश, 2025](#) के अंतर्गत आउटसोर्सिंग संबंधी मौजूदा दिशानिदेशों का पालन करना जारी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा नियोजित एलएसपी और डीएलए (चाहे वे बैंक के हों या बैंक द्वारा नियोजित एलएसपी के) इन निदेशों का अनुपालन करते हैं।
- (7) एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में, एलएसपी के साथ बैंक द्वारा किया गया कोई भी आउटसोर्सिंग करार किसी भी सांविधिक या विनियामक प्रावधान के तहत बैंक को अपने दायित्वों से किसी भी तरह से मुक्त या कम नहीं करेगा, और बैंक एलएसपी के सभी कार्यों और चूक के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी रहेगा।

7. बैंक-एलएसपी व्यवस्थाएं जिसमें कई ऋणदाता शामिल हैं:

ऐसे मामलों में जहां कोई एलएसपी डिजिटल उधार देने के लिए कई ऋणदाताओं के साथ करार किए हों, वहाँ प्रत्येक बैंक निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

- (1) एलएसपी डीएलए पर उधारकर्ता के अनुरोध से मेल खाने वाले सभी ऋण प्रस्तावों का एक डिजिटल रूप प्रदान करेगा जो उधारकर्ता की आवश्यकता को पूरा करता है। इस डिजिटल रूप में उन ऋणदाताओं के नाम भी बताए जाएंगे जिनके प्रस्ताव मेल नहीं खाते हैं।
- (2) हालांकि एलएसपी ऋण की पेशकश करने के लिए उधारकर्ताओं के अनुरोध को ऋणदाता(ओं) से मिलान करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है, लेकिन उसे एक जैसी स्थिति वाले उधारकर्ताओं और उत्पादों के लिए एक जैसा तरीका अपनाना होगा। एलएसपी द्वारा अपनाए गए तरीके और बाद में उसमें किए गए किसी भी बदलाव का उपयुक्त रूप से दस्तावेजीकरण किया जाएगा।
- (3) मिलान पूरा करने वाले(मैचिंग) ऋणदाताओं से मिलने वाले ऋण प्रस्तावों के डिजिटल रूप में ऋण की पेशकश करने वाले ऋणदाता(ओं) का/के नाम, ऋण की राशि और अवधि, एपीआर, हर महीने ऋण चुकाने की राशि और दंड प्रभार (यदि लागू हो) जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए, ताकि उधारकर्ता अलग-अलग ऋण प्रस्तावों की सही तरह से तुलना कर सके। प्रत्येक ऋणदाता के संबंध में केएफएस का लिंक भी प्रदान किया जाएगा।
- (4) एलएसपी द्वारा प्रदर्शित सामग्री निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण होगी और किसी विशेष ऋणदाता के उत्पाद को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा नहीं देगी, जिसमें उधारकर्ताओं को किसी विशेष ऋण प्रस्ताव को चुनने में गुमराह करने के लिए डिज़ाइन किए गए डार्क पैटर्न/भ्रामक पैटर्न का उपयोग शामिल है। हालाँकि, अगर ऋण प्रस्ताव का क्रम निर्धारण पहले से सार्वजनिक रूप से बताए गए पैमाने के आधार पर की जाती है, तो इसे किसी विशेष उत्पाद को बढ़ावा देना नहीं माना जाएगा।
नोट: डार्क पैटर्न का अर्थ वही होगा जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 30 नवंबर, 2023 को जारी 'डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिदेश , 2023' के भाग 2(ई) के तहत परिभाषित किया गया है, और समय-समय पर संशोधित किया गया है।

बी. आचरण एवं ग्राहक संरक्षण संबंधी आवश्यकताएँ

8. उधारकर्ता की ऋण पात्रता का आकलन करना

- (1) बैंक कोई भी ऋण देने से पहले उधारकर्ता की ऋण पात्रता का आकलन करने की दृष्टि से उधारकर्ता की आर्थिक प्रोफाइल से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगा, जिसमें कम से कम, आयु, पेशा और आय संबंधी विवरण शामिल हैं। इसे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड पर रखा जाएगा।
- (2) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ऋण सीमा में अपने-आप कोई बढ़ोतरी न हो, जब तक कि उधारकर्ता से ऐसी बढ़ोतरी के लिए साफ़ तौर पर कोई अनुरोध न मिले, उसकी जाँच न की जाए और उसे रिकॉर्ड में न रखा जाए।

9. उधारकर्ताओं को प्रकटीकरण

- (1) बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - जिम्मेदार व्यवसाय आचरण) निदेश, 2025 में निहित अनुदेशों के अनुसार एक प्रमुख तथ्य विवरण (केएफएस) प्रदान करेगा।
- (2) दंडात्मक प्रभार के संबंध में, बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - जिम्मेदार व्यवसाय आचरण) निदेश, 2025 का पालन करना होगा।
- (3) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज (बैंक के पत्र-शीर्ष पर) जैसे केएफएस, ऋण उत्पाद का सारांश, स्वीकृति पत्र, नियम और शर्तें, खाता विवरण, उधारकर्ताओं के डेटा संग्रहण और उपयोग के संबंध में बैंक/एलएसपी की गोपनीयता नीतियां, आदि ऋण संविदा के निष्पादन/लेनदेन के बाद उधारकर्ता को उसके पंजीकृत और सत्यापित ईमेल/एसएमएस पर स्वचालित रूप से पहुँच जाए।
नोट: डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुपालन में होंगे।
- (4) बैंक सार्वजनिक डोमेन में अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाए रखेगा, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ पहुंच में आसानी के लिए वेबसाइट पर एक प्रमुख स्थान पर निम्नलिखित विवरणों के साथ अद्यतित रखा जाएगा:
 - (i) सभी डिजिटल उधार उत्पादों और इसके डीएलए का विवरण
 - (ii) एलएसपी का विवरण और एलएसपी के डीएलए का विवरण, उन गतिविधियों के विवरण के साथ जिनके लिए उन्हें नियोजित किया गया है।
 - (iii) बैंक ग्राहक सेवा और आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के विवरण।
 - (iv) रिज़र्व बैंक के शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) और सचेत पोर्टल का लिंक।

(v) रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक गोपनीयता नीतियाँ और अन्य विवरण।

- (5) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि डीएलए/एलएसपी के पास बैंक की उपरोक्त वेबसाइट के लिंक हों।
- (6) ऋण चूक के मामले में, जब वसूली के लिए किसी वसूली एजेंट को नियुक्त किया जाता है या पहले से नियुक्त वसूली एजेंट में कोई बदलाव होता है, तो वसूली के लिए उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए प्राधिकृत ऐसे वसूली एजेंट के विवरण वसूली एजेंट द्वारा उधारकर्ता से संपर्क करने से पहले ईमेल/एसएमएस के माध्यम से उधारकर्ता को सूचित किए जाएंगे।

10. ऋण संवितरण, चुकौती और पुनर्भुगतान

- (1) बैंक द्वारा वैधानिक या विनियामक अधिदेश (रिज़र्व बैंक या किसी अन्य विनियामक के) के तहत विशेष रूप से कवर किए गए संवितरणों और विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए संवितरण को छोड़कर, ऋण का संवितरण हमेशा उधारकर्ता के बैंक खाते में किया जाएगा, बशर्ते कि ऋण सीधे अंतिम-लाभार्थी के बैंक खाते में संवितरित किया जाए। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि इस अध्याय में प्रावधान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, किसी भी मामले में, एलएसपी के खातों सहित किसी भी अन्य पक्ष के खाते में संवितरण नहीं किया जाए।

बशर्ते कि वेतन के एवज में अग्रिम, जहां ऋण सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते में संवितरित किया जाता है, लेकिन चुकौती कॉर्पोरेट नियोक्ता से होती है, इस शर्त के अधीन अनुमति दी जा सकती है कि ऋण उधारकर्ता के वेतन से राशि काटकर कॉर्पोरेट नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे लेनदेन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन के प्रवाह पर एलएसपी का कोई नियंत्रण न हो और चुकौती सीधे नियोक्ता के बैंक खाते से बैंक को हो।

- (2) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी ऋण चुकौती, पुनर्भुगतान आदि अन्य पक्ष के किसी भी पास-थ्रू खाते/पूल खाते के बिना सीधे बैंक के बैंक खाते में उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किए जाएं, जिसमें एलएसपी के खाते भी शामिल हैं।
- (3) उधारकर्ता और बैंक के खातों के बीच धन का प्रवाह किसी अन्य पक्ष द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया जाएगा, जिसमें एलएसपी भी शामिल है।
- (4) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि एलएसपी को देय कोई भी शुल्क, प्रभार, प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान सीधे बैंक द्वारा किया जाए और एलएसपी द्वारा उधारकर्ताओं से अलग से प्रभारित या वसूल न की जाए।
- (5) अदत्त ऋणों के मामले में, कोई बैंक आवश्यकतानुसार नकद में ऋण वसूलने के लिए भौतिक इंटरफेस का उपयोग कर सकता है। बैंक को परिचालनगत लचीलापन देने के लिए, ऐसे लेनदेन बैंक

के बैंक खाते में ऋण के प्रत्यक्ष चुकौती की आवश्यकता से छूट प्राप्त हैं। हालांकि, नकद द्वारा किसी भी वसूली को उसी दिन उधारकर्ता के खाते में पूरी तरह से दर्शाया जाना चाहिए और बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे वसूली के लिए एलएसपी को देय कोई भी शुल्क, प्रभार आदि सीधे बैंक द्वारा भुगतान किए जाएं और वसूली से प्राप्त राशि से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से एलएसपी द्वारा उधारकर्ता से शुल्क न लिया जाए।

11. (कूलिंग-ऑफ) अवधि

- (1) उधारकर्ता को प्रारंभिक "(कूलिंग-ऑफ) अवधि" के दौरान बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके डिजिटल ऋण से बाहर निकलने का एक स्पष्ट विकल्प दिया जाएगा। (कूलिंग-ऑफ) अवधि बैंक द्वारा उनकी ऋण नीति के अनुसार निर्धारित की जाएगी, बशर्ते कि इस प्रकार निर्धारित अवधि एक दिन से कम न हो। (कूलिंग-ऑफ) अवधि के बाद भी ऋण जारी रखने वाले उधारकर्ता के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – जिम्मेदार व्यवसाय आचरण) निदेश, 2025 के अनुसार पूर्व-भुगतान की अनुमति दी जाती रहेगी।
- (2) यदि ग्राहक (कूलिंग-ऑफ) अवधि के दौरान ऋण से बाहर निकलता है, तो बैंक एक उचित एकबारगी प्रोसेसिंग शुल्क रख सकता है। यह, यदि लागू हो, तो केएफएस में ग्राहक को अग्रिम रूप से इसका खुलासा किया जाएगा।

12. शिकायत निवारण

- (1) कोई बैंक, और उनका एलएसपी जिसका उधारकर्ता के साथ इंटरफेस है, उधारकर्ता द्वारा उठाए गए डिजिटल उधार संबंधी शिकायतों/मुद्दों से निपटने के लिए नोडल शिकायत निवारण अधिकारियों को नामित करेगा।
- (2) नोडल शिकायत निवारण अधिकारियों के संपर्क विवरण बैंक, इसके एलएसपी की वेबसाइटों पर और डीएलए पर, साथ ही उधारकर्ता को प्रदान किए गए केएफएस में प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।
- (3) शिकायत दर्ज करने की सुविधा डीएलए पर और ऊपर बताई गई वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह दोहराया जाता है कि शिकायत निवारण की जिम्मेदारी बैंक के पास ही रहेगी।
- (4) यदि बैंक या उनके एलएसपी के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा दर्ज की गई किसी भी शिकायत को बैंक द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाता है, या उधारकर्ता उत्तर से संतुष्ट नहीं है; या बैंक द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उधारकर्ता को कोई उत्तर नहीं मिला है, तो उक्त उधारकर्ता रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र के अनुसार [रिज़र्व बैंक-एकीकृत](#)

ओम्बड्समैन योजना (आरबी – आईओएस – दिनांक 12 नवंबर 2021 के सीईपीडी.पीआरडी.संख्या एस873/13.01.001/2021-22 के तहत जारी अधिसूचना) के अंतर्गत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस - <https://cms.rbi.org.in/>) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है या "केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर -17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ - 160017" को लिखित शिकायत भेज सकता है। यह जानकारी उधारकर्ता को उपयुक्त रूप से दी जाएगी।

सी. प्रौद्योगिकी और डेटा संबंधी आवश्यकताएं

13. डेटा का संग्रह, उपयोग और अन्य पक्ष के साथ साझा करना

- (1) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उनके डीएलए और उनके एलएसपी के डीएलए द्वारा डेटा का कोई भी संग्रह आवश्यकता-आधारित हो और ऑडिट ट्रेल वाले उधारकर्ता की पूर्व और स्पष्ट सहमति से हो। किसी भी मामले में, बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि बैंक /एलएसपी के डीएलए मोबाइल फोन संसाधनों जैसे फाइल और मीडिया, संपर्क सूची, कॉल लॉग, टेलीफोनी फ़ंक्शन आदि तक पहुँचने से बचें। कैमरे, माइक्रोफ़ोन, स्थान या ऑन-बोर्डिंग/केवाईसी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक किसी अन्य सुविधा के लिए उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति से केवल एक बार की पहुँच ली जा सकती है।
- (2) उधारकर्ता को विशिष्ट डेटा के उपयोग के लिए सहमति देने या अस्वीकार करने, अन्य पक्ष को खुलासे को प्रतिबंधित करने, डेटा प्रतिधारण, व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के लिए पहले दी गई सहमति को रद्द करने और यदि आवश्यक हो, तो बैंक /एलएसपी को डेटा को हटाने/भूल जाने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।
- (3) उधारकर्ताओं की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य को उधारकर्ताओं के साथ इंटरफ़ेस के प्रत्येक चरण में प्रकट करने की आवश्यकता है।
- (4) सांविधिक या विनियामक आवश्यकता के अनुसार ऐसे साझाकरण की आवश्यकता वाले मामलों को छोड़कर, किसी भी अन्य पक्ष के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले उधारकर्ता की स्पष्ट सहमति ली जाएगी।

14. डेटा संचय

- (1) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा नियोजित एलएसपी उधारकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी संचय न करें सिवाय कुछ अवसंरचनात्मक न्यूनतम डेटा (जैसे नाम, पता, ग्राहक का संपर्क विवरण, आदि) के जो बैंक-एलएसपी करार के दायरे में उनके परिचालन या सेवा को पूरा करने के लिए

आवश्यक हो सकता है। ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी की डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के संबंध में निरंतर जिम्मेदारी बैंक की होगी।

- (2) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक डेटा के संचय के संबंध में स्पष्ट नीति दिशानिदेश जिसमें डेटा के प्रकार को संग्रहित किया जा सकता है, वह अवधि जिसके लिए डेटा संग्रहित किया जा सकता है, डेटा के उपयोग पर प्रतिबंध, डेटा को नष्ट करने संबंधी प्रोटोकॉल, सुरक्षा उल्लंघन से निपटने के मानक आदि शामिल हैं, को लागू किया जाए और बैंक एवं बैंक द्वारा नियोजित एलएसपी द्वारा उनकी वेबसाइट और डीएलए पर हर समय प्रमुखता से प्रकट किया जाए।
- (3) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक और एलएसपी द्वारा कोई भी बायोमेट्रिक डेटा संचय/संग्रहित नहीं किया जाता है, जब तक कि मौजूदा सांविधिक दिशानिदेशों के तहत अनुमति न हो।
- (4) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि सांविधिक दायित्वों/विनियामक निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते समय सभी डेटा केवल भारत के भीतर स्थित सर्वर में संचय किया जाए। इसके अलावा, यदि डेटा को भारत के बाहर प्रसंस्कृत किया जाता है, तो उसे भारत के बाहर के सर्वर से हटा दिया जाएगा और प्रसंस्करण के 24 घंटे के भीतर भारत वापस लाया जाएगा।

15. व्यापक गोपनीयता नीति

- (1) बैंक और बैंक द्वारा नियोजित एलएसपी के पास लागू कानूनों, संबंधित विनियमों और रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुपालन में एक व्यापक गोपनीयता नीति होगी जो बैंक और एलएसपी की वेबसाइट पर, जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) डीएलए के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की अनुमति प्राप्त अन्य पक्षों (जहाँ लागू हो) का विवरण भी गोपनीयता नीति में प्रकट किया जाएगा।

16. प्रौद्योगिकी मानक

- (1) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि वे और उनके द्वारा नियोजित एलएसपी डिजिटल उधार देने के लिए रिज़र्व बैंक और अन्य संबंधित एजेंसियों, या जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, द्वारा साइबर सुरक्षा पर निर्धारित विभिन्न प्रौद्योगिकी मानकों/आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

डी. ऋण सूचना और डीएलए की रिपोर्टिंग

17. साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्टिंग

- (1) साख सूचना कंपनियां (सीआईसी) (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों, सीआईसी नियम, 2006; सीआईसी विनियम, 2006 और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित दिशानिदेशों के अनुसार; बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उनके डीएलए और/या एलएसपी के डीएलए के माध्यम से

दिया गया कोई भी उधार की रिपोर्टिंग सीआईसी को किया जाए, चाहे उनकी प्रकृति/अवधि कोई भी हो।

- (2) अल्पकालिक, असंरक्षित/संरक्षित ऋण या आस्थगित भुगतानों से जुड़े मर्चेट प्लेटफॉर्म पर बैंक और/या बैंक द्वारा नियोजित एलएसपी द्वारा संरचित डिजिटल उधार उत्पादों के विस्तार की रिपोर्टिंग बैंक द्वारा सीआईसी को किया जाना आवश्यक है। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आस्थगित भुगतान ऋण उत्पादों से जुड़े एलएसपी, यदि कोई हों, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मौजूदा आउटसोर्सिंग दिशानिदेशों का पालन करें और इन निदेशों द्वारा निर्देशित हों।

18. आरबीआई को डीएलए की रिपोर्टिंग

- (1) बैंक इन निदेशों के अनुबंध-1 में दिए गए अपेक्षित प्रारूप में रिज़र्व बैंक के केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल पर उनके द्वारा तैनात/जुड़े सभी डीएलए की रिपोर्ट करेगा इसमें वे डीएलए भी शामिल होंगे जो उनके अपने हैं या एलएसपी के हैं, चाहे वे अकेले काम कर रहे हों या किसी प्लेटफॉर्म के हिस्से के तौर पर।
- (2) जब अतिरिक्त डीएलए तैनात किए जाते हैं या मौजूदा डीएलए के साथ जुड़ाव समाप्त हो जाता है, तो बैंक सीआईएमएस पोर्टल में अद्यतन डेटा दर्ज करके उपरोक्त सूची को अद्यतन करेगा।
- (3) बैंक का मुख्य अनुपालन अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए बैंक के बोर्ड द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि सीआईएमएस पोर्टल पर उनके द्वारा प्रस्तुत डीएलए पर डेटा सही है और डीएलए इस अध्याय के प्रावधानों सहित सभी मौजूदा विनियामक अनुदेशों का अनुपालन करते हैं।
- (4) ऊपर बताई गई सामान्य बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य अनुपालन अधिकारी/ बैंक के बोर्ड द्वारा नामित अन्य अधिकारी निम्नलिखित पहलुओं को प्रमाणित करेगा:
- (i) डीएलए के पास बैंक की वेबसाइट का लिंक है जहाँ ऋण उत्पादों, ऋणदाता, एलएसपी, ग्राहक सेवा के विवरण, सचेत पोर्टल के लिंक, गोपनीयता नीतियों आदि के बारे में अधिक जानकारी उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
 - (ii) डीएलए (एलएसपी के स्वामित्व के मामले में) ने उधारकर्ता द्वारा उठाए गए डिजिटल उधार संबंधी शिकायतों/मुद्दों से निपटने के लिए एक उपयुक्त नोडल शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है, जिसका विवरण संबंधित डीएलए पर प्रमुखता से उपलब्ध है।
 - (iii) डीएलए द्वारा डेटा संग्रह और संचय इन निदेशों के पैराग्राफ 13 और 14 और समय-समय पर लागू अन्य सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में है।

(iv) बैंक द्वारा प्रस्तुत डीएलए के विवरण इन निदेशों के पैराग्राफ 9(4) के अनुसार बैंक की वेबसाइट पर भी उपयुक्त रूप से प्रकट किए गए हैं।

- (5) बैंक डीएलए के संबंध में जानकारी की शुद्धता और समयबद्धता सुनिश्चित करेगा, क्योंकि बैंक द्वारा सीआईएमएस पर प्रस्तुत डेटा, स्वचालित तरीके से रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और रिज़र्व बैंक सीआईएमएस पर प्रस्तुत डेटा को सत्यापित/मान्य नहीं करेगा। डीएलए से संबंधित ग्राहकों के सभी मुद्दों और शिकायतों का समाधान सीधे बैंक द्वारा किया जाएगा।
- (6) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उपर्युक्त रिपोर्टिंग के हिस्से के रूप में उनके द्वारा तैनात किसी भी अन्य पक्ष के डीएलए को शामिल करने को डीएलए या किसी भी संबंधित इकाई द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी प्रकार के पंजीकरण, प्राधिकरण या समर्थन के रूप में नहीं समझा जाएगा। बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि डीएलए द्वारा या उनकी ओर से जारी किसी भी विपणन, प्रचार या अन्य सामग्रियों में इस तरह के समावेश को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाए।

ई. चूक की स्थिति में नुकसान साझा करने की व्यवस्था

19. डीएलजी प्रदाता के रूप में पात्रता

- (1) बैंक केवल एलएसपी / एलएसपी के रूप में नियोजित अन्य ऋणदाता के साथ डीएलजी व्यवस्था निष्पादित कर सकता है। इसके अलावा, डीएलजी प्रदान करने वाले एलएसपी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में निगमित किया जाना चाहिए।

20. डीएलजी प्रदाता के संबंध में उचित जांच-पड़ताल और अन्य आवश्यकताएं

- (1) बैंक, जिसमें डीएलजी प्रदाता के रूप में कार्य करने वाला बैंक भी शामिल है, किसी भी डीएलजी व्यवस्था निष्पादित करने से पहले अपनी नीति के हिस्से के रूप में डीएलजी प्रदाता के लिए पात्रता मानदंड, डीएलजी कवर की प्रकृति और सीमा, डीएलजी व्यवस्था की निगरानी और समीक्षा की प्रक्रिया, और शुल्क का विवरण, यदि कोई हो, डीएलजी प्रदाता को देय/प्राप्त, जैसा भी मामला हो, निर्धारित करेगा।
- (2) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी डीएलजी व्यवस्था ऋण मूल्यांकन आवश्यकताओं के विकल्प के रूप में कार्य न करे और डीएलजी कवर की परवाह किए बिना मजबूत ऋण हामीदारी (ऋण अंडरराइटिंग) मानक स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
- (3) हर बार जब कोई बैंक डीएलजी व्यवस्था निष्पादित करता है या उसका नवीनीकरण करता है, तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेगा कि डीएलजी का विस्तार करने वाली संस्था इसका सम्मान करने में सक्षम होगी। ऐसी जानकारी में न्यूनतम रूप से डीएलजी प्रदाता के सांविधिक

लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित कुल बकाया डीएलजी राशि, ऋणदाताओं की संख्या और संबंधित पोर्टफोलियो की संख्या पर डीएलजी प्रदाता की एक घोषणा शामिल होगी जिसके प्रति डीएलजी प्रदान किया गया है। घोषणा में समान पोर्टफोलियो पर पिछले चूक दरों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

- (4) यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ निर्दिष्ट उचित जांच-पड़ताल आवश्यकताएँ इन निदेशों के पैराग्राफ 66(7) में निर्धारित बैंक -एलएसपी व्यवस्थाओं पर लागू सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं।

21. डीएलजी व्यवस्था निष्पादित करने पर प्रतिबंध

- (1) कोई बैंक, डिजिटल उधार चैनल के माध्यम से पेश की जाने वाली परिक्रामी ऋण सुविधाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड: निर्गमन और आचरण) निदेश, 2025 के तहत परिभाषित क्रेडिट कार्डों के लिए डीएलजी व्यवस्था निष्पादित नहीं करेगा।
- (2) बैंक उन ऋणों पर डीएलजी व्यवस्था निष्पादित नहीं करेगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक- पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के तहत निर्दिष्ट न्यास निधियों द्वारा प्रशासित ऋण गारंटी योजनाओं द्वारा कवर किए जाते हैं।

22. डीएलजी व्यवस्थाओं की संरचना

- (1) डीएलजी व्यवस्थाएं बैंक और डीएलजी प्रदाता के बीच एक स्पष्ट और कानूनी रूप से लागू करने योग्य संविदा द्वारा समर्थित होंगी। इस संविदा में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित विवरण होंगे:
- (i) डीएलजी कवर की सीमा।
 - (ii) वह रूप जिसमें डीएलजी कवर को बैंक के साथ बनाए रखा जाना है।
 - (iii) डीएलजी लागू करने के लिए समय-सीमा।
 - (iv) इन निदेशों के पैराग्राफ 28 के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं।

23. डीएलजी के रूप

- (1) कोई बैंक केवल निम्नलिखित रूपों में से एक या अधिक में डीएलजी स्वीकार करेगा:
- (i) बैंक के पास जमा नकद।
 - (ii) बैंक के पक्ष में चिह्नित ग्रहणाधिकार के साथ एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के पास बनाए रखा गया सावधि जमा।
 - (iii) बैंक के पक्ष में बैंक गारंटी।

24. डीएलजी पर कैप (उच्चतम सीमा)

- (1) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी बकाया पोर्टफोलियो पर डीएलजी कवर की कुल राशि जो अग्रिम रूप से निर्दिष्ट की जाती है, किसी भी समय उस ऋण पोर्टफोलियो से संवितरित कुल राशि के पांच प्रतिशत से अधिक न हो। निहित गारंटी व्यवस्था के मामले में, डीएलजी प्रदाता अंतर्निहित ऋण पोर्टफोलियो के पांच प्रतिशत की समतुल्य राशि से अधिक का कार्य-प्रदर्शन जोखिम नहीं उठाएगा।
- (2) वह पोर्टफोलियो जिस पर डीएलजी की पेशकश की जा सकती है, उसमें पहचाने जाने योग्य और मापने योग्य ऋण आस्ति शामिल होगी जिसे मंजूरी दे दी गई है ('डीएलजी सेट')। यह पोर्टफोलियो डीएलजी कवर के प्रयोजन के लिए स्थिर रहेगा और इसे बदलता रहने वाला नहीं रखा जाएगा।
- (3) डीएलजी पर कैप (उच्चतम सीमा) के उदाहरण

उदाहरण 1

मान लीजिए कि 1 अप्रैल, 2024 को बैंक डीएलजी व्यवस्था (डीएलजी सेट) के तहत ₹40 करोड़ का एक पोर्टफोलियो (कुल स्वीकृत ऋणों में से) निर्धारित करता है। विशिष्ट डीएलजी व्यवस्था के उद्देश्य से यह पोर्टफोलियो "फ्रोजन" (स्थिर) रहेगा - जिसका अर्थ है कि ऋण चुकौती/राइट-ऑफ (बट्टे खाते में डालने) को छोड़कर, इसमें कोई भी ऋण आस्ति जोड़ी या हटाई नहीं जा सकती है। बैंक के पास ऐसे कई डीएलजी सेट हो सकते हैं।

ऐसे पोर्टफोलियो पर डीएलजी कवर की अधिकतम सीमा ₹2 करोड़ (₹40 करोड़ का 5 प्रतिशत) तय की जाएगी, जो ऋण वितरित होने के साथ-साथ आनुपातिक रूप से सक्रिय होती जाएगी।

उदाहरण 2

मान लीजिए कि उपरोक्त डीएलजी सेट में से, ₹10 करोड़ का ऋण तुरंत वितरित किया जाता है। फिर 1 अप्रैल, 2024 तक, पोर्टफोलियो के लिए उपलब्ध डीएलजी कवर ₹0.5 करोड़ (वितरित राशि का 5 प्रतिशत) होगा।

इसके बाद, यदि 15 अप्रैल, 2024 को ₹10 करोड़ का अतिरिक्त ऋण वितरित किया जाता है, तो डीएलजी कवर 15 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होकर आनुपातिक रूप से बढ़कर ₹1 करोड़ हो जाएगा।

(प्रत्येक मामले के सारांश के लिए नीचे दी गई तालिका भी देखें)

मामला 1: 30 जून, 2024 तक, बिना किसी चूक के ₹5 करोड़ मूल्य के ऋण की अवधि पूर्ण हो जाती है। इस मामले में, बैंक की बहियों में बकाया पोर्टफोलियो ₹15 करोड़ होगा और डीएलजी कवर ₹1 करोड़ पर बना रहेगा।

मामला 2: इसके बाद, तिमाही2-2024 के दौरान ₹2 करोड़ के भुगतान में चूक होती है और परिणामस्वरूप बैंक ₹1 करोड़ के पूरे डीएलजी को लागू करता है (यह मानते हुए कि आज तक इन ऋणों के एवज में कोई मूलधन/ब्याज प्राप्त नहीं हुआ है)। इस मामले में, 30 सितंबर, 2024 तक बैंक की बहियों में बकाया पोर्टफोलियो ₹15 करोड़ होगा (₹20 करोड़ का मूल पोर्टफोलियो घटाव ₹5 करोड़ ऋण जिनकी बिना चूक के अवधि पूर्ण हुई), लेकिन डीएलजी के लिए कोई अतिरिक्त गुंजाइश उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि अधिकतम अनुमत डीएलजी कवर ₹1 करोड़ (वितरित राशि का 5 प्रतिशत) समाप्त हो चुका है।

मामला 3: आगे बढ़ते हुए, मान लें कि बैंक द्वारा अक्टूबर 2024 के दौरान ₹2 करोड़ के चूक हुए ऋणों में से ₹1 करोड़ की वसूली की जाती है। ऐसे मामले में, 31 अक्टूबर, 2024 तक बैंक की बहियों में बकाया पोर्टफोलियो की राशि घटकर ₹14 करोड़ रह जाएगी (₹20 करोड़ मूल पोर्टफोलियो घटाव ₹5 करोड़ ऋण जिनकी बिना चूक के अवधि पूर्ण हुई, घटाव ₹1 करोड़ ऋण जो चूक में थे और वसूल कर लिए गए)। हालांकि, डीएलजी कवर को पुनर्स्थापित करने के लिए इस ₹1 करोड़ की वसूली राशि को जोड़ा नहीं जा सकता है।

(आंकड़े ₹ करोड़ में)							
अवधि	संवितरित	बिना चूक के ऋण की अवधि पूर्ण होना	चूक की राशि	लागू की गई डीएलजी	वसूली/बट्टे खाते डालना	बकाया पोर्टफोलियो	उपलब्ध डीएलजी कवर
आरंभिक स्थिति	10	-	-	-	-	10	0.5
आगे का संवितरण	10	-	-	-	-	20	1
मामला 1	20	5	-	-	-	15	1
मामला 2	20	5	2	1	-	15	0
मामला 3	20	5	2	1	1	14	0

25. एनपीए का निर्धारण

- (1) पोर्टफोलियो में व्यक्तिगत ऋण आस्तियों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में निर्धारण और इसके परिणामस्वरूप प्रावधान करना [भारतीय रिज़र्व बैंक \(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण\) निदेश, 2025](#) के अनुसार बैंक की जिम्मेदारी होगी, चाहे पोर्टफोलियो स्तर पर उपलब्ध डीएलजी कवर कोई भी हो।
- (2) लागू की गई डीएलजी की राशि को अंतर्निहित व्यक्तिगत ऋणों के मुकाबले समंजित नहीं किया जाएगा, अर्थात् अंतर्निहित ऋण के संबंध में उधारकर्ताओं की देयता प्रभावित नहीं रहेगी।

- (3) बैंक द्वारा वसूली, यदि कोई हो, उन ऋणों से जिन पर डीएलजी लागू और वसूली की गई है, संविदात्मक व्यवस्था के संदर्भ में डीएलजी प्रदाता के साथ साझा की जा सकती है।
- (4) बैंक द्वारा एक बार लागू की जाने वाली डीएलजी राशि को ऋण वसूली सहित बहाल नहीं किया जाएगा।

26. विनियामक पूंजी के लिए डीएलजी का ट्रीटमेंट

- (1) पूंजी की गणना, यानी पोर्टफोलियो में व्यक्तिगत ऋण आस्तियों पर ऋण जोखिम न्यूनीकरण लाभों की गणना और अनुप्रयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 द्वारा शासित होना जारी रहेगा।
- (2) यदि डीएलजी प्रदाता कोई बैंक है, तो यह अपनी पूंजी से बकाया डीएलजी की पूरी राशि काट लेगा।

27. डीएलजी का लागू होना और उसकी अवधि

- (1) कोई बैंक अधिकतम 120 दिनों की अतिदेय अवधि के भीतर डीएलजी लागू करेगा, जब तक कि उससे पहले उधारकर्ता द्वारा ऋण बकाया को चुकाया न जाए।
- (2) वह अवधि जिसके लिए डीएलजी करार लागू रहता है, अंतर्निहित ऋण पोर्टफोलियो में ऋण की सबसे लंबी अवधि से कम नहीं होगी।

28. प्रकटीकरण आवश्यकताएं

- (1) बैंक एक ऐसा तंत्र स्थापित करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जिन एलएसपी के साथ उनकी डीएलजी व्यवस्था है, वे अपनी वेबसाइट पर पोर्टफोलियो की कुल संख्या और प्रत्येक पोर्टफोलियो की संबंधित राशि को प्रकाशित करेंगे जिस पर डीएलजी की पेशकश की गई है। इस प्रावधान के तहत प्रकटीकरण के हिस्से के रूप में ऋणदाता (ऋणदाताओं) के नाम का खुलासा किया भी जा सकता है और नहीं भी।
- (2) उपर्युक्त पैरा (1) के तहत प्रकटीकरण मासिक आधार पर किया जाएगा, जिसमें किसी भी महीने की जानकारी उस महीने की समाप्ति के सात (7) कार्य दिवसों के अंदर प्रदान किया जाएगा।

29. अपवाद

निम्नलिखित योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत आने वाली गारंटियों को डीएलजी की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा:

- (1) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई), कम आय वाले आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच) और राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के तहत व्यक्तिगत योजनाएं।
- (2) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण गारंटी।

एफ. सामान्य प्रावधान

30.

- (1) क्रेडिट कार्ड पर ईएमआई कार्यक्रम विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड: निर्गमन और आचरण) निदेश, 2025 द्वारा शासित होते हैं। ऐसे लेन-देन इन निदेशों के अंतर्गत कवर नहीं किए जाएंगे। हालाँकि, क्रेडिट कार्ड पर दिए जाने वाले अन्य ऋण उत्पाद जो उपरोक्त मास्टर निदेश के तहत कवर/परिकल्पित नहीं हैं, वे इन निदेशों में निर्धारित शर्तों द्वारा शासित होंगे। इसके अलावा, ये निदेश ईएमआई कार्यक्रमों सहित डेबिट कार्ड पर दिए जाने वाले सभी ऋणों पर भी लागू होंगे।
- (2) इन निदेशों में निर्धारित अनुदेशों के अनुरूप बैंक और एलएसपी के बीच निष्पादित डीएलजी व्यवस्थाओं पर [भारतीय रिज़र्व बैंक \(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण\) निदेश, 2025](#) के तहत परिभाषित 'ऋण सहभागिता' के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

अध्याय IV – सोने और चांदी के संपार्श्विक पर उधार

पृष्ठभूमि: रिज़र्व बैंक ने व्यापक समष्टि-विवेकपूर्ण चिंताओं की वजह से तथा सोने की सट्टेबाजी वाली और अनुत्पादक प्रकृति के कारण; प्राथमिक स्वर्ण, जैसे बुलियन सोना, के एवज में दिये जाने वाले ऋणों पर प्रतिबंध लगा रखा है। यद्यपि, उधारकर्ताओं की अल्पकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बैंकों को सोने के गहनों, आभूषणों और सिक्कों की संपार्श्विक प्रतिभूति के बदले में ऋण देने की अनुमति दी गई है। वर्तमान विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, उधारकर्ताओं को निष्क्रिय पड़े सोने के गहनों, आभूषणों या सिक्कों का लाभ उठाकर अपनी तंग चलनिधि की स्थिति से उबरने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्देशित हैं, साथ ही वे उधारदाताओं के जोखिमों का समाधान भी करते हैं।

31. ¹[*****]

ए. सामान्य प्रावधान

32. 'बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों' के अध्याय II की अपेक्षानुसार, बैंक की ऋण नीति (जिसे इसके बाद 'नीति' कहा जाएगा) में अन्य बातों के साथ-साथ सोने या चांदी से बने गहनों, आभूषणों या सिक्कों (इस अध्याय के लिए "पात्र संपार्श्विक") के संपार्श्विक के एवज में दिए जाने वाले ऋणों के पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त एकल उधारकर्ता सीमा और समग्र सीमा; ऐसे ऋण के लिए अनुमति योग्य अधिकतम एलटीवी अनुपात; एलटीवी अनुपात का उल्लंघन होने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई; मूल्यांकन के मानक एवं मानदंड; और सोने तथा चांदी की शुद्धता के मानक शामिल होंगे। इस नीति में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत वर्गीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋणों के लिए उपयुक्त दस्तावेज़ प्राप्त करना और बनाए रखना भी शामिल होंगे।

33. 'आनुपातिकता के सिद्धांत' और 'छोटी राशि के ऋणों की सुलभता' को ध्यान में रखते हुए बैंक अपने ऋण जोखिम प्रबंधन ढांचे में 'पात्र संपार्श्विक' के बदले में ऋण देने के लिए एक उपयुक्त दृष्टिकोण को सम्मिलित कर सकता है। हालांकि, यदि किसी उधारकर्ता को 'पात्र संपार्श्विक' के बदले में दिया गया कुल ऋण राशि ₹2.5 लाख से अधिक हो, तो ऐसे ऋण का एक विस्तृत ऋण मूल्यांकन उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता के मूल्यांकन सहित किया जाएगा।

बशर्ते कि एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण के मामले में, 'परिपक्वता पर देय कुल राशि' ही विस्तृत ऋण मूल्यांकन के लिए सीमा ऋण राशि, होगी।

¹ 1 अप्रैल, 2026 से हटा दिया गया।

34. उधारकर्ता के औपचारिक अनुरोध पर बैंक पैराग्राफ 33 के अनुसार ऋण मूल्यांकन करने के पश्चात मौजूदा ऋण का नवीनीकरण कर सकता है या टॉप-अप ऋण स्वीकृत कर सकता है। इस प्रकार के नवीनीकरण या टॉप-अप की अनुमति तब ही दी जाएगी, जब वह ऋण स्वीकार्य एलटीवी सीमा के भीतर हो और 'मानक ऋण' के रूप में वर्गीकृत हो। इसके अलावा, एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण के नवीनीकरण की अनुमति उपार्जित ब्याज (यदि कोई हो) के भुगतान के बाद ही दी जाएगी। बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार के नवीनीकरण और टॉप-अप अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली या ऋण प्रसंस्करण प्रणाली में स्पष्ट रूप से पहचान योग्य हों।

बी. प्रतिबंध और सीमाएं

35. कोई भी बैंक निम्नलिखित के लिए कोई अग्रिम या ऋण प्रदान नहीं करेगा:

(1) प्राथमिक स्वर्ण, आभूषणों, गहनों या सिक्कों सहित किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए, या सोने द्वारा समर्थित वित्तीय आस्तियों की खरीद के लिए, जैसे कि एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां या म्यूचुअल फंड की इकाइयां; और

(2) प्राथमिक स्वर्ण या चांदी या प्राथमिक स्वर्ण या चांदी द्वारा समर्थित वित्तीय आस्तियों के एवज में।

बशर्ते कि बैंक उन उधारकर्ताओं को आवश्यकता-आधारित कार्यशील पूंजी वित्त प्रदान कर सकता है जो अपनी विनिर्माण या औद्योगिक प्रसंस्करण गतिविधि में कच्चे माल या इनपुट के तौर पर सोना या चांदी का इस्तेमाल करते हैं; और जहां ऐसे सोने या चांदी को प्रतिभूति के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार का वित्त प्रदान करने वाले बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उधारकर्ता निवेश या सट्टेबाज़ी के उद्देश्य से सोना अधिग्रहित या धारित न करें।

36. बैंक ऐसे ऋण प्रदान नहीं करेगा जहाँ संपार्श्विक का स्वामित्व संदिग्ध हो। ऋण के सभी मामलों में उधारकर्ता से एक उपयुक्त दस्तावेज़ या घोषणा प्राप्त की जाएगी कि उधारकर्ता 'पात्र संपार्श्विक' का वैध स्वामी है। वैसे ऋणों की जांच धन-शोधन निवारण (एएमएल) ढांचे के तहत लेनदेन निगरानी के हिस्से के रूप में कड़ाई से की जानी चाहिए, जो कि एक ही उधारकर्ता को पात्र संपार्श्विक के एवज में एकाधिक या बार-बार स्वीकृत किए गए हों और जिनकी कुल राशि उधारदाता द्वारा तय की गई सीमा से अधिक हो।

37. कोई बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:

(1) अपने उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखे गए सोने या चांदी को पुनः गिरवी रखकर ऋण लेना।

(2) अन्य उधारदाताओं, संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा उनके उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखे गए सोना या चांदी की संपार्श्विक को स्वीकार करके उन उधारदाताओं, संस्थाओं या व्यक्तियों को ऋण प्रदान करना।

संदेह के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रावधान किसी उधारदाता को अंतर्निहित प्राप्य राशियों की प्रतिभूति के आधार पर किसी अन्य उधारदाता को वित्तपोषित करने से नहीं रोकता है।

38. एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण की प्रकृति वाले उपभोग ऋणों की अवधि अधिकतम 12 महीने होगी, जिसे पैराग्राफ 34 के अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है।
39. आभूषणों और सिक्कों के बदले में ऋण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:
- (1) उधारकर्ता को दिए गए सभी ऋणों के लिए गिरवी रखे गए आभूषणों का कुल वजन सोने के आभूषणों के लिए 1 किलोग्राम और चांदी के आभूषणों के लिए 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा।
 - (2) उधारकर्ता के सभी ऋणों के लिए गिरवी रखे गए सिक्कों का कुल वजन सोने के सिक्कों के मामले में 50 ग्राम और चांदी के सिक्कों की स्थिति में 500 ग्राम से अधिक नहीं होगा।

सी. सोने और चांदी की संपार्श्विक का मूल्यांकन और परख

40. संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किए गए सोने या चांदी का मूल्यांकन उनकी वास्तविक शुद्धता (कैरेट) के अनुरूप संदर्भ कीमत के आधार पर किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित में से जो भी कम हो, उसका उपयोग किया जाएगा:
- (1) पिछले 30 दिनों के दौरान उस विशिष्ट शुद्धता के सोने या चांदी, जो लागू हो, का औसत समापन मूल्य, या
 - (2) उस विशिष्ट शुद्धता के सोने या चांदी, जो लागू हो, का पिछले दिन का समापन मूल्य, जो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किसी पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज) द्वारा प्रकाशित हो।
41. मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए यदि वांछित शुद्धता वाले मूल्य की प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो उधारदाता निकटतम उपलब्ध शुद्धता के लिए प्रकाशित मूल्य और संपार्श्विक की वास्तविक शुद्धता के आधार पर संपार्श्विक के वजन को आनुपातिक रूप से समायोजित करेगा।
42. मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु, 'पात्र संपार्श्विक' में निहित सोने या चांदी के केवल अंतर्निहित मूल्य की ही गणना की जाएगी और इसमें कोई अन्य लागत तत्व, जैसे कि कीमती पत्थर या रत्न, नहीं जोड़े जाएंगे।

डी. ऋण-मूल्य अनुपात (एलटीवी)

43. 'पात्र संपार्श्विक' के एवज में दिये गए उपभोग ऋण के लिए अधिकतम एलटीवी अनुपात नीचे दी गई तालिका में दिए गए एलटीवी अनुपात से अधिक नहीं होगा:

प्रति उधारकर्ता कुल उपभोग ऋण राशि	अधिकतम एलटीवी अनुपात
$\leq ₹2.5$ लाख	85 प्रतिशत
$> ₹2.5$ लाख व $\leq ₹5$ लाख	80 प्रतिशत
$> ₹5$ लाख	75 प्रतिशत

स्पष्टीकरण: इस संदर्भ में किसी दिन के 'ऋण-मूल्य (एलटीवी) अनुपात' का अर्थ है उस दिन गिरवी रखे गए 'पात्र संपार्श्विक' या प्रतिभूति, जैसा भी मामला हो, के मूल्य से बकाया ऋण राशि का अनुपात है। हालांकि, एकबारगी पुनर्भुगतान ऋण के मामले में, एलटीवी की गणना और ऋण राशि की गणना में परिपक्वता पर देय कुल राशि को लिया जाएगा।

44. ऋण की अवधि के दौरान निर्धारित एलटीवी अनुपात को निरंतर आधार पर बनाए रखा जाएगा।

ई. अन्य प्रावधान

45. आचरण से संबंधित पहलुओं और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए, बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - जिम्मेदार व्यवसाय आचरण) निदेश, 2025 में निहित अनुदेशों द्वारा निर्देशित होगा।

46. बैंक आमतौर पर उधारकर्ता के बैंक खाते में ऋण वितरित करेगा। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025 का पालन करेगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 एसएस और 269 टी के प्रावधानों तथा संबंधित नियमों, जो भी लागू हों, का पालन किया जाएगा।

47. बैंक अंतरण के मामले में, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि:

(1) ऋण का संवितरण केवल उधारकर्ता के खाते में किया जाए, किसी तीसरे पक्ष के खाते में नहीं।

अपवाद:

- (i) ऐसे अनन्य संवितरण जो किसी सांविधिक या विनियामक अधिदेश (आरबीआई या किसी अन्य विनियामक का) के तहत दिये गए हो,
- (ii) सह-ऋण लेनदेन के लिए उधारदाताओं के बीच धन का प्रवाह, और
- (iii) विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए संवितरण, बशर्ते कि ऋण सीधे अंतिम-लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित किया जाए।

(2) ऋण चुकौती, पुनर्भुगतान आदि का कार्यान्वयन, किसी तीसरे पक्ष के पास-थ्रू खाते या पूल खाते के उपयोग के बिना, उधारकर्ता द्वारा सीधे बैंक के खाते में किया जाए।

48. किसी एक उधारकर्ता या संबंधित उधारकर्ताओं के समूहों को एक ही समय पर अनेक ऋण देने से ऋण के दुरुपयोग और धोखाधड़ी की प्रवणता बढ़ सकती है। इसलिए, ऐसी कार्य-पद्धतियाँ सख्त आंतरिक लेखापरीक्षा और पर्यवेक्षी जांच के योग्य होंगी।
49. बैंक, प्रकटीकरण संबंधी अनुदेशों के लिए, [भारतीय रिज़र्व बैंक \(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण\) निदेश, 2025](#) में निहित अनुदेशों से निर्देशित होंगे।

अध्याय V – सूक्ष्म-वित्त ऋण

ए. परिभाषा

50. सूक्ष्म-वित्त ऋण को ₹3,00,000 तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवार को दिए जाने वाले संपार्श्विक-मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, परिवार का अर्थ एक एकल परिवार इकाई होगा, अर्थात् पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे।

51. अंतिम उपयोग और आवेदन / प्रसंस्करण / वितरण के तरीके (चाहे भौतिक या डिजिटल माध्यमों से) चाहे जो हो, कम आय वाले परिवारों, यानी ₹3,00,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को प्रदान किए जाने वाले सभी संपार्श्विक-मुक्त ऋणों को सूक्ष्म-वित्त ऋण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण: सूक्ष्म-वित्त ऋण की संपार्श्विक-मुक्त प्रकृति सुनिश्चित करने के लिए, ऋण उधारकर्ता के जमा खाते पर किसी पुनर्ग्रहणाधिकार से जुड़ा नहीं होना चाहिए या किसी भी प्रतिभूति के दृष्टिबंधक द्वारा समर्थित नहीं होना चाहिए।

बी. पारिवारिक आय का मूल्यांकन

52. प्रत्येक बैंक पारिवारिक आय के मूल्यांकन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेगा। पारिवारिक आय के मूल्यांकन के लिए सांकेतिक पद्धति नीचे दी गई है:

(1) कम आय वाले परिवार की आय का मूल्यांकन करने के लिए, ऋणदाता द्वारा निम्नलिखित मापदंडों से संबंधित जानकारी एकत्र की जा सकती है:

(i) पारिवारिक प्रोफाइल का आकलन करने के मापदंड

(ए) परिवार की संरचना

i. अर्जक सदस्यों की संख्या

ii. अनर्जक सदस्यों की संख्या

(बी) आवास का प्रकार (स्वयं / किराए का, आदि)

(सी) बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता (बिजली, पानी, शौचालय, सीवेज, एलपीजी कनेक्शन, आदि)

(डी) अन्य आस्तियों की उपलब्धता (भूमि, पशुधन, वाहन, फर्नीचर, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, आदि)

(ii) पारिवारिक आय का आकलन करने के मापदंड

(ए) आय का प्राथमिक स्रोत

- i. कार्य क्षेत्र (कृषि और संबद्ध गतिविधियां, व्यापार, विनिर्माण, सेवाएं, आदि)
- ii. कार्य की प्रकृति (स्वरोजगार या वेतनभोगी, नियमित या मौसमी, आदि)
- iii. आय की आवृत्ति (दैनिक / साप्ताहिक / मासिक)
- iv. पिछले एक वर्ष में रोजगार के महीने / दिन
- v. स्व-घोषित मासिक आय
- vi. औसत मासिक आय (उपरोक्त (iv) और (v) से प्राप्त की जाने वाली)

(बी) आय के अन्य स्रोत

- i. विप्रेषण
- ii. किराया / पट्टा
- iii. पेंशन
- iv. सरकारी अंतरण
- v. छात्रवृत्ति
- vi. अन्य (विवरण निर्दिष्ट करें)

(सी) ऊपर बताए अनुसार आय का मूल्यांकन सभी अर्जक सदस्यों के लिए आय के सभी स्रोतों (प्राथमिक या द्वितीयक) के संबंध में किया जाए। सभी स्रोतों से सभी सदस्यों की आय का आकलन करते समय, यह सुनिश्चित किया जाए कि आय की दोहरी गिनती न हो, जैसे कि एक प्रवासी सदस्य की वेतन आय को परिवार के लिए विप्रेषण आय के रूप में भी गिनना।

(डी) हालांकि आय की गणना मासिक आधार पर की जा सकती है, लेकिन पारिवारिक आय की स्थिरता का पता लगाने के लिए सभी सदस्यों और स्रोतों के लिए आय का मूल्यांकन न्यूनतम एक वर्ष की अवधि में किया जा सकता है।

(iii) पारिवारिक खर्चों का आकलन करने के मापदंड

(ए) नियमित मासिक खर्च (भोजन, उपयोगी सेवाएँ, परिवहन, मकान / दुकान का किराया, कपड़े, नियमित चिकित्सा लागत, स्कूल / कॉलेज की फीस, आदि)

(बी) पिछले एक वर्ष में अनियमित खर्च (चिकित्सा व्यय, मकान का पुनरुद्धार, घरेलू सामान की खरीद, समारोह आदि)

(2) ऊपर 1(ii) में स्व-घोषित आय की पुष्टि 1(i) में पारिवारिक प्रोफ़ाइल और 1(iii) में पारिवारिक खर्चों से की जा सकती है। इसके अलावा, पारिवारिक आय का सत्यापन अन्य स्रोतों (उधारकर्ताओं के बैंक खाता विवरण, समूह के सदस्यों, आसपास के अन्य संदर्भों, आदि) से भी किया जा सकता है।

53. स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) और अन्य संघ / एजेंसियां भी सांकेतिक पद्धति के आधार पर एक साझा ढांचा विकसित कर सकते हैं। बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस ढांचे को उपयुक्त रूप से अपना सकता है / संशोधित कर सकता है।
54. प्रत्येक बैंक अनिवार्य रूप से पारिवारिक आय के संबंध में जानकारी साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को प्रस्तुत करेगा। सीआईसी में मूल्यांकित घरेलू आय को अपडेट करने से पहले, पहले से रिपोर्ट की गई पारिवारिक आय और मूल्यांकित पारिवारिक आय के बीच किसी भी अंतर का कारण उधारकर्ता(ओं) से विशेष रूप से पता किया जाएगा।

सी. किसी परिवार के ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों पर सीमा

55. मासिक पारिवारिक आय के प्रतिशत के रूप में परिवार के मासिक ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान के कारण होने वाले बहिर्वाह की सीमा के संबंध में प्रत्येक बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी। यह मासिक पारिवारिक आय के अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन होगी।
- स्पष्टीकरण:* सूक्ष्म-वित्त ऋण द्वारा वित्तपोषित आस्ति/गतिविधि से भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित आय को परिवार की ऋणग्रस्तता की गणना के उद्देश्य से पारिवारिक आय में शामिल नहीं किया जाएगा।
56. ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों की गणना में परिवार के सभी बकाया ऋणों (संपार्श्विक-मुक्त सूक्ष्म-वित्त ऋण के साथ-साथ किसी भी अन्य प्रकार के संपार्श्विक ऋण) को ध्यान में रखा जाएगा। मासिक पारिवारिक आय के 50 प्रतिशत पर सीमित बहिर्वाह में सभी मौजूदा ऋणों के साथ-साथ विचाराधीन ऋण के प्रति पुनर्भुगतान (मूलधन और ब्याज घटक दोनों सहित) शामिल होंगे।
57. ऐसे मौजूदा ऋण, जिनके लिए किसी परिवार के मासिक ऋण दायित्वों के पुनर्भुगतान के कारण होने वाला बहिर्वाह मासिक घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है, उन्हें परिपक्व होने की अनुमति दी जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में, जब तक 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा का पालन नहीं किया जाता, तब तक इन परिवारों को कोई नया ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा।
58. प्रत्येक बैंक सीआईसी को समय पर और सटीक डेटा प्रदान करेगा और ऋणग्रस्तता के स्तर के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उनके पास उपलब्ध डेटा का उपयोग करेगा। इसके अलावा, बैंक अन्य स्रोतों जैसे उधारकर्ताओं से घोषणा, उनके बैंक खाते के विवरण और स्थानीय पूछताछ से भी इसकी पुष्टि करेगा।

डी. अन्य प्रावधान

59. बैंक के पास उधारकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार सूक्ष्म-वित्त ऋणों पर पुनर्भुगतान की आवधिकता में छूट प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी।
60. सूक्ष्म-वित्त ऋण प्रदान करने वाला बैंक निम्नलिखित का भी संदर्भ लेगा:
- (1) ऋण के मूल्य निर्धारण के लिए [भारतीय रिज़र्व बैंक \(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - अग्रिमों पर ब्याज दर\) निदेश, 2025](#)
 - (2) मुख्य तथ्य विवरण से संबंधित अनुदेशों और सूक्ष्म-वित्त उधारकर्ताओं के प्रति आचरण पर दिशानिर्देशों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - जिम्मेदार व्यवसायिक आचरण) निदेश, 2025
 - (3) आउटसोर्स की गई गतिविधियों की जिम्मेदारियों से संबंधित अनुदेशों के लिए [भारतीय रिज़र्व बैंक \(वाणिज्यिक बैंक - आउटसोर्सिंग में जोखिमों का प्रबंधन\) निदेश, 2025](#)

अध्याय VI – गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाएं

पृष्ठभूमि: गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सुविधाएँ जैसे गारंटी, साख पत्र, सह-स्वीकृतियाँ आदि प्रभावी तरीके से ऋण मध्यस्थता और सुचारू व्यावसायिक लेनदेन को सुगम बनाती हैं। इन सुविधाओं को शामिल करने वाले दिशानिर्देशों को सुसंगत और समेकित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एनएफबी सुविधाओं पर निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए थे।

61. इस अध्याय में, विनियमित संस्था (आरई) और विनियमित संस्थाएं (आरईएस) शब्दों का उल्लेख निम्नलिखित के लिए किया होगा:
- (1) वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित)
 - (2) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)/राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)/केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी);
 - (3) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई);
62. ये निदेश इस अध्याय में निर्धारित सामान्य शर्तों के अलावा बैंक(जहां आरबीआई द्वारा जारी विशिष्ट विनियामक ढांचे के तहत अनुमति दी गई है) के व्युत्पन्न एक्सपोजर पर लागू नहीं होंगे।

63. ²[*****]

ए. सामान्य शर्तें

64. बैंक की ऋण नीति में एनएफबी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रावधान शामिल होंगे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एनएफबी सुविधाओं के प्रकार, अनुमत सीमाएँ, ऋण मूल्यांकन, प्रतिभूति आवश्यकता, धोखाधड़ी निवारण, स्वीकृति-पश्चात निगरानी सहित समग्र निगरानी तंत्र, प्रत्यायोजन मैट्रिक्स, लेखा परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण, मानक निर्धारण निकायों द्वारा जारी समान मानकों का अनुपालन और अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित पहलू शामिल होंगे।
65. बैंक केवल उस ग्राहक की ओर से एनएफबी सुविधा प्रदान करेगी जिसके पास बैंक से निधि-आधारित ऋण सुविधा का वित्तपोषण हो।

बशर्ते कि यह खंड निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगा:

² 1 अप्रैल, 2026 से हटा दिया गया।

- (1) किसी अन्य आरई की प्रति-गारंटी के आधार पर जारी एनएफबी सुविधाएं, जैसा कि इस अध्याय के अंतर्गत अनुमत है।
- (2) किसी ऐसे बाध्यताधारी की ओर से एनएफबी सुविधाएं, जिसने भारत में किसी भी आरई से कोई निधि-आधारित सुविधा नहीं ली है।
- (3) विनियमित संस्था/ विनियमित संस्थाओं जिन्होंने बाध्यताधारी को निधि आधारित सुविधा प्रदान की है, द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र पर बैंक द्वारा प्रदान की गई एनएफबी सुविधाएं।
- (4) एनएफबी सुविधाएं जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा पूर्णतः संरक्षित हैं।

स्पष्टीकरण: यहां विनिर्दिष्ट पात्र वित्तीय संपार्श्विक, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार होंगे।

66. जब तक रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी विनियामक दिशानिर्देश/ निदेशों के तहत विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो, बैंक किसी भी संस्था को एनएफबी सुविधा जारी नहीं करेगी जो किसी भी संस्था द्वारा जमाराशि, बॉण्ड जारी करने या किसी अन्य रूप में जुटाई गई धनराशि के मोचन/ पुनर्भुगतान का आश्वासन देती हो।
67. जब कोई एनएफबी सुविधा अंतरित हो जाती है और निधि आधारित सुविधा में परिवर्तित हो जाती है, तो निधि आधारित सुविधाओं पर लागू विवेकपूर्ण मानदंड लागू होंगे।

बी. गारंटियाँ

68. सामान्य तौर पर, बैंक (गारंटीकर्ता) द्वारा जारी गारंटी (अथवा प्रति-गारंटी) अप्रतिसंहरणीय (अर्थात्, संविदा में कोई खंड नहीं होगा जो गारंटीकर्ता को एकतरफा रद्द करने की अनुमति देगा), शर्तरहित (अर्थात् संविदा में कोई खंड नहीं होगा जब मूल काउंटरपार्टी अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहती है तब बैंक को समय पर भुगतान करने के लिए बाध्य होने से रोक सकता है), निर्विवाद होगी और जब इसे लागू किया जाता है तो उसे बिना किसी आपत्ति के सकारने के लिए स्पष्ट तंत्र होगा।
69. बैंक सामान्य रूप से गारंटी जारी करने और विशेष रूप से प्रतिभूति-रहित गारंटियां जारी करने के लिए उपयुक्त आंतरिक समुच्चय/व्यक्तिगत उच्चतम सीमा निर्धारित करेगी।

बशर्ते कि आरआरबी की किसी भी समय बकाया गारंटीकृत दायित्वों की कुल मात्रा पिछले वित्तीय वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार कुल आस्तियों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा, बैंकों की प्रतिभूति-रहित गारंटियों को कुल आस्तियों के 1.25 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा। इन निदेशों के

जारी होने की तारीख तक, उपरोक्त नियम का उल्लंघन करने वाला कोई भी ऐसा बैंक 1 अप्रैल, 2027 तक निर्धारित सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

70. गारंटियों से संबंधित आंतरिक नीति के प्रावधानों में, अन्य बातों के साथ-साथ, गारंटी लागू करने और निपटान तंत्र, दावा अवधि, परिपक्वता काल, शुल्क/ कमीशन/ लागू प्रभार, प्रतिभूति की निर्मुक्ति की समयसीमा, नवीनीकरण, धोखाधड़ी रोकथाम उपायों आदि से संबंधित पहलुओं का समाधान किया जाएगा।

71. बैंक, गारंटी विलेख के नियमों और शर्तों के अनुसार लागू होने पर उसके द्वारा जारी की गई गारंटी को सकारेगा, जब तक कि इसे रोकने के लिए अदालत का आदेश न हो।

बी.1 इलेक्ट्रॉनिक-गारंटी का उपयोग

72. जब भी बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गारंटी जारी की जाती है तो, वह मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगी जिसका उद्देश्य होगा हस्तचालित हस्तक्षेप को न्यूनतम करना; सिस्टम एकीकरण अपेक्षाएँ पूरी करना; बैंक के इंटरफेस और इलेक्ट्रॉनिक गारंटी प्लेटफॉर्म, ऑडिट और आंतरिक नियंत्रण आदि में तकनीकी संगतता सुनिश्चित करना। एसओपी में, अन्य बातों के साथ-साथ, इन निदेशों के पैरा 73 से 87 तक उल्लिखित पहलुओं पर भी विचार किया जाए।

बी.2 इलेक्ट्रॉनिक गारंटियाँ जारी करने की नीति और एसओपी

73. बैंक की अपने ऋण नीति में उपयुक्त समर्थकारी प्रावधान होंगे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गारंटियों को अपनाने, जोखिम नियंत्रण स्थापित करने, प्राधिकरण का प्रत्यायोजन, निगरानी प्रक्रिया आदि की परिकल्पना की जाएगी।

74. बैंक उपयोगकर्ता संदर्भ के लिए उपयुक्त एसओपी लागू करेगा, जिसमें संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गारंटी जीवनचक्र के दौरान पालन किए जाने वाले सभी चरणों का विवरण होगा। इलेक्ट्रॉनिक गारंटी यह सुनिश्चित किए बिना जारी नहीं की जाएगी कि अंतर्निहित लेनदेन कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस)/व्यापार वित्त प्रणाली (टीएफएस) में विधिवत परिलक्षित हुआ है।

बी.3 इलेक्ट्रॉनिक गारंटी जारी करने के संबंध में प्रणालियों का एकीकरण

75. बैंक के पास नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को कवर करने वाला एक मजबूत नियंत्रण वातावरण; सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण; और इलेक्ट्रॉनिक गारंटी से संबंधित सभी कार्यों के लिए जोखिम कम करने की उपयुक्त रणनीतियाँ होंगी।

76. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक गारंटी जारी करने, संशोधन, लागू करने, रद्द करने आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक गारंटी की संपूर्ण जीवनचक्र घटनाओं से संबंधित सभी सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक गारंटी सेवा प्रदाता के साथ उपयुक्त एकीकरण के माध्यम से उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।
77. सीबीएस/टीएफएस को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) मोड में इलेक्ट्रॉनिक गारंटी सेवा प्रदाता द्वारा पेश किए जाने वाले एपीआई और अन्य संबंधित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा।

बी.4 इलेक्ट्रॉनिक गारंटी जारी करने के लिए उपयोगकर्ता की भूमिकाएं

78. बैंक के पास सख्त पहुंच नियंत्रण और भूमिका और जवाबदेही का प्रभावी पृथक्करण सुनिश्चित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गारंटी जारी करने और निगरानी के लिए 'मेकर, चेकर और ऑथराइजर' की एक कुशल प्रणाली होगी।
79. इलेक्ट्रॉनिक गारंटी जारी करने के जीवनचक्र में शामिल कोई भी भूमिका कर्तव्यों के पृथक्करण के सिद्धांत, चार/छह नेत्र सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करेगी और किसी भी कर्मचारी को उन प्रणालियों, अनुप्रयोगों में भूमिकाएं/विशेषाधिकार आवंटित नहीं किए जाएंगे जो प्रकृति में परस्पर विरोधी हैं या चार/छह नेत्र सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।
80. सिस्टम का एक्सेस केवल निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा, और जेनेरिक उपयोगकर्ता आईडी के माध्यम से एक्सेस की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपयोगकर्ता समीक्षा निरंतर, निर्धारित आवधिकता पर होगी और संबंधित अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ किसी भी समय पहचानी जा सकने योग्य होगी। उपयोगकर्ता विशेषाधिकार "जानने की आवश्यकता/करने की आवश्यकता" के आधार पर तय किए जाएंगे।

बी.5 इलेक्ट्रॉनिक गारंटी जारी करने के लिए नियंत्रण उपाय

81. बैंक के पास निर्दिष्ट अवधि के दौरान जारी/संशोधित/रद्द की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक गारंटियों की आवधिक समीक्षा और मिलान की एक प्रणाली होगी।
82. इलेक्ट्रॉनिक गारंटी जारी करना अनिवार्य रूप से बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षा और आरबीआईए के दायरे में शामिल होगा।

बी.6 इलेक्ट्रॉनिक गारंटी जारी करने से संबंधित अन्य पहलू

83. इलेक्ट्रॉनिक गारंटी प्रणालियों की मजबूती सुभेद्यता मूल्यांकन/ व्यापन परीक्षण (वीए/ पीटी), सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा का हिस्सा होगी।

84. दैनिक लेनदेन के लिए विक्रेताओं पर निर्भरता से बचा जाए। विक्रेताओं को उत्पादन प्रणालियों तक एक्सेस केवल नियंत्रित वातावरण में ही प्रदान की जाएगी और ऑडिट ट्रेल बनाए रखा जाएगा।
85. सिम्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट (एसआईईएम) उपकरण को संबंधित सर्वर और कंसोल/ पीसी, जो इलेक्ट्रॉनिक गारंटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रणालियों से सीधे इसके वीएलएएन में जुड़ेगा, के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि स्वचालित अलर्ट उत्पन्न हो सके।
86. बैंक इलेक्ट्रॉनिक गारंटी प्रणालियों को विशेषाधिकार प्राप्त उपयोगकर्ता प्रबंधन प्रणालियों/पहचान एवं एक्सेस प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकृत करेगा। इनके लॉग की निगरानी सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) सेटअप के माध्यम से की जाएगी।
87. प्रणाली की विफलताओं के लिए कारोबार निरंतरता उपाय और आकस्मिक योजनाएं, बैंक द्वारा लागू की जाएंगी।

बी.7 अन्य आरई के पक्ष में गारंटी

88. बैंक, किसी अन्य विनियमित संस्था के पक्ष में गारंटी प्रदान नहीं करेगा ताकि वह किसी बाध्यताधारी को कोई निधि आधारित ऋण सुविधा प्रदान कर सके, जब तक कि आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए।

बशर्ते कि यह खंड व्यापार संबंधी लेनदेन से संबंधित गारंटी पर दी गई ऋण सुविधाओं के मामले में लागू नहीं होगा।

89. तथापि, बैंक दूसरे आरई द्वारा दी गई एनएफबी सुविधा के लिए उसके पक्ष में गारंटी दे सकता है। किसी आरई द्वारा जारी ऐसी गारंटी को पूंजी पर्याप्तता की गणना सहित सभी प्रयोजनों के लिए उस बाध्यताधारी पर एक्सपोजर के रूप में माना जाएगा जिसकी ओर से उसके द्वारा गारंटी जारी की गई है। गारंटी पर ऋण सुविधा प्रदान करनेवाली आरई के एक्सपोजर को उस आरई पर दावा/एक्सपोजर माना जाएगा जो काउंटर गारंटी प्रदान कर रहा है।

सी. सह-स्वीकृतियाँ

90. केवल वास्तविक व्यापार बिलों को सह-स्वीकार किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिलों में कवर किया गया सामान वास्तव में उधारकर्ताओं के स्टॉक खातों में प्राप्त किया गया है।

91. प्रत्येक ग्राहक के सह-स्वीकृत बिलों का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रतिबद्धताओं और शाखा में कुल प्रतिबद्धताओं का आसानी से पता लगाया जा सके, और यह आंतरिक लेखा परीक्षा का भाग होगा।
92. बैंक किसी अन्य विनियमित संस्था द्वारा आहरित किए गए बिलों अथवा जहां खरीददार/ विक्रेता ने किसी विनियमित संस्था से अंतर्निहित व्यापार लेनदेन के लिए धन प्राप्त किया है, को सह-स्वीकार नहीं करेगी।

डी. अन्य विशिष्ट गारंटियों के लिए आवश्यकताएँ

डी.1 गारंटी और संबंधित कारोबार जिसमें विदेशी चालू या पूंजी खाता लेनदेन शामिल है

93. प्राधिकृत व्यापारी (एडी) के रूप में अनुमत बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी विद्यमान विनियमों/निदेशों के तहत अनुमत एनएफबी सुविधाएँ वास्तविक चालू या पूंजी खाता लेनदेन के लिए प्रदान कर सकते हैं, जिसमें भारत से निर्यात के कारण निर्यातक द्वारा लिए गए ऋण या अन्य देयता की गारंटी शामिल है।

उन्हें विदेशी संस्था को या उसकी ओर से गारंटी जारी करने की भी अनुमति दी गई है, या उसकी किसी भी उप-अनुषंगी संस्था को, जिसमें भारतीय संस्था ने विदेशी संस्था के माध्यम से नियंत्रण प्राप्त किया है, जो भारतीय संस्था या उसकी समूह कंपनी द्वारा दी गई काउंटर-गारंटी या संपार्श्विक से समर्थित है। बशर्ते कि बैंक, ऐसी गारंटी जारी नहीं करेंगे जिनका इस्तेमाल विदेशी संस्थाएं किसी भी तरह का ऋण या अग्रिम जुटाने के लिए करें, सिवाय इसके कि यह विदेश में सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के सिलसिले में हो। इसके अलावा, ऐसी गारंटियाँ प्रदान करते समय, बैंकों को ऐसी सुविधाओं के अंतिम उपयोग की प्रभावी निगरानी और ऐसी संस्थाओं की व्यावसायिक आवश्यकताओं की अनुरूपता सुनिश्चित करनी होगी।

डी.2 स्टॉक / कमोडिटी ब्रोकरों की ओर से गारंटियाँ

94. केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) ही स्टॉक/कमोडिटी ब्रोकरों की ओर से स्टॉक/पण्य बाजारों के पक्ष में गारंटी जारी कर सकते हैं। यह गारंटी प्रतिभूति जमा के बदले में और उस सीमा तक ही जारी की जा सकती है, जिस सीमा तक यह शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार्य है। एससीबी, शेयर बाजार के विनियमों के साथ-साथ इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों के अनुसार मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं के बदले में भी गारंटी जारी कर सकते हैं।

ई. अपवर्जन और अन्य पहलू

95. एनएफबी ऋण सुविधाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए, बैंक, [भारतीय रिज़र्व बैंक \(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण\) निदेश, 2025](#) द्वारा निर्देशित होगा।

96. इस अध्याय में उल्लिखित निदेशों को, समय-समय पर संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999; विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमन, 2000, जिन्हें [दिनांक 03 मई 2000 को जारी अधिसूचना संख्या फेमा 8/2000-आरबी](#) द्वारा अधिसूचित किया गया है, के अंतर्गत जारी निदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।
97. उपर्युक्त पैरा के बावजूद, बैंक को [भारतीय रिज़र्व बैंक \(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन\) निदेश, 2025](#) सहित सभी संबंधित विनियामक मानदंडों का पालन करना होगा।

अध्याय VII – आवास ऋण

ए. व्यक्तियों को आवास ऋण – मात्रा, एलटीवी अनुपात और जोखिम भार

98. बैंक व्यक्तियों को आवास ऋण प्रदान करते समय निम्नलिखित ऋण-मूल्य अनुपात (एलटीवी) और जोखिम-भार (आरडब्ल्यू) का पालन करेगा:

व्यक्तियों को आवास ऋण		
ऋण की श्रेणी	एलटीवी अनुपात (%)	जोखिम भार
(ए) ₹20 लाख तक	90	50
(बी) ₹20 लाख से अधिक और ₹75 लाख तक	80	50
(सी) ₹75 लाख से अधिक	75	75

बी. आवास क्षेत्र: नवोन्मेषी आवास ऋण उत्पाद - आवास ऋणों का अग्रिम संवितरण

99. कुछ बैंकों ने डेवलपर्स/बिल्डर्स के सहयोग से कुछ नवोन्मेषी आवास ऋण योजनाएं शुरू की हैं; जैसे स्वीकृत वैयक्तिक आवास ऋणों का संवितरण आवास परियोजना के निर्माण के विभिन्न चरणों से जोड़े बिना बिल्डर्स को अग्रिम रूप से करना, वैयक्तिक उधारकर्ता द्वारा लिए गए आवास ऋण पर ब्याज/ईएमआई का भुगतान निर्माण अवधि/निर्दिष्ट अवधि के दौरान बिल्डर्स द्वारा किया जाना आदि। इसमें बैंक, बिल्डर और आवास इकाई के खरीदार के बीच त्रिपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर करना शामिल हो सकता है। इन ऋण उत्पादों को प्रचलित रूप से 80:20, 75:25 योजनाओं जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस तरह के आवास ऋण उत्पादों से बैंकों के साथ-साथ उनके आवास ऋण उधारकर्ताओं को भी अतिरिक्त जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है; जैसे कि वैयक्तिक उधारकर्ताओं और डेवलपर्स/बिल्डर्स के बीच विवाद की स्थिति में उधारकर्ता की ओर से सहमत अवधि के दौरान डेवलपर/बिल्डर द्वारा ब्याज/ईएमआई के भुगतान में चूक या देरी, परियोजना का समय पर पूरा न होना आदि। इसके अलावा, वैयक्तिक उधारकर्ताओं की ओर से डेवलपर्स/बिल्डर्स द्वारा बैंकों को किए जाने वाले भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी से साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा ऐसे उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग/स्कोर कम हो सकता है, क्योंकि ऋण के सेवाकरण से संबंधित जानकारी नियमित रूप से सीआईसी को भेजी जाती है। उन मामलों में जहां बैंक ऋण उनके वैयक्तिक उधारकर्ताओं की ओर से निर्माण के चरणों से जोड़े बिना बिल्डर्स/डेवलपर्स को एकमुश्त अग्रिम रूप से वितरित किए जाते हैं, वहाँ बैंकों का एक्सपोजर असंगत रूप से अधिक हो जाता है और इसके साथ ही धनराशि के अन्यत्र उपयोग का जोखिम भी रहता है।

100. ऐसे स्वीकृत आवास ऋणों के एकमुश्त संवितरण से जुड़े उच्च जोखिमों और ग्राहक उपयुक्तता संबंधी मुद्दों को देखते हुए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि व्यक्तियों को स्वीकृत आवास ऋणों का संवितरण आवास परियोजना/मकानों के निर्माण के चरणों निकटता से जुड़ा होना चाहिए और अधूरी/निर्माणाधीन/ग्रीनफील्ड आवास परियोजनाओं के मामलों में अग्रिम संवितरण नहीं किया जाना चाहिए।
101. इस बात पर बल दिया जाता है कि बैंक किसी भी प्रकार का उत्पाद पेश करते समय ग्राहक की उपयुक्तता और उचितता संबंधी मुद्दों पर ध्यान देंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उधारकर्ताओं/ग्राहकों को ऐसे उत्पादों के तहत जोखिमों और देनदारियों के बारे में पूरी तरह से जागरूक किया जाए।

सी. भवन का निर्माण / बना-बनाया मकान

102. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अनधिकृत निर्माण पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करें:
- (1) जिन मामलों में आवेदक के पास भूखंड/भूमि है और वह मकान बनाने हेतु ऋण सुविधा के लिए बैंक से संपर्क करता है, वहां आवास ऋण स्वीकृत करने से पहले बैंक द्वारा ऐसी ऋण सुविधा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नक्शे की एक प्रति प्राप्त की जानी चाहिए।
 - (2) ऐसी ऋण सुविधा के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से एक हलफनामा-सह-वचनपत्र प्राप्त की जाएगी कि वे स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन नहीं करेंगे, निर्माण पूरी तरह से स्वीकृत नक्शे के अनुसार होगा और निर्माण पूरा होने के 3 महीने के भीतर कार्य-समापन प्रमाणपत्र प्राप्त करना निष्पादनकर्ता की ही जिम्मेदारी होगी; ऐसा न करने पर बैंक के पास ब्याज, लागत और अन्य सामान्य बैंक प्रभारों के साथ संपूर्ण ऋण को वापस लेने की शक्ति और अधिकार होगा।
 - (3) बैंक द्वारा पैनलबद्ध कोई वास्तुकार भी भवन निर्माण के विभिन्न चरणों में यह प्रमाणित करेगा कि भवन का निर्माण पूरी तरह से स्वीकृत नक्शे के अनुसार है और किसी एक विशिष्ट समय पर यह भी प्रमाणित करेगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन से संबंधित कार्य-समापन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।
 - (4) जिन मामलों में आवेदक निर्मित मकान/फ्लैट खरीदने हेतु ऋण सुविधा के लिए बैंक से संपर्क करता है, उनके लिए एक हलफनामा-सह-वचनपत्र के माध्यम से यह घोषणा करना अनिवार्य होगा कि निर्मित संपत्ति का निर्माण स्वीकृत नक्शे और/या भवन उप-नियमों के अनुसार किया गया है और जहां तक संभव हो इसका कार्य-समापन प्रमाणपत्र भी उपलब्ध है।

- (5) बैंक द्वारा पैनलबद्ध वास्तुकार भी ऋण के संवितरण से पहले यह प्रमाणित करेगा कि निर्मित संपत्ति पूरी तरह से स्वीकृत नक्शे और/या भवन उप-नियमों के अनुसार है।
- (6) अनधिकृत कॉलोनियों की श्रेणी में आने वाली संपत्तियों के संबंध में तब तक कोई ऋण नहीं दिया जाएगा जब तक कि उन्हें नियमित न कर दिया गया हो और विकास तथा अन्य शुल्कों का भुगतान न कर दिया गया हो।
- (7) आवासीय उपयोग के लिए निर्दिष्ट संपत्तियों, जिसे आवेदक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का इरादा रखता है और ऋण के लिए आवेदन करते समय ऐसी घोषणा करता है, के संबंध में भी कोई ऋण नहीं दिया जाएगा।

अपवाद: कृषि भूमि ग्राम पंचायतों और नगर परिषदों की सीमा से बाहर होती है और चूंकि ये प्राधिकरण न तो नक्शे की मंजूरी प्रदान करते हैं और न ही कृषि भूमि पर किसानों द्वारा बनाए गए फार्महाउसों के लिए कार्य-समापन प्रमाणपत्र जारी करते हैं, इसलिए यह पैराग्राफ ऐसी स्थितियों पर लागू नहीं होगा। ऐसे सभी मामलों में स्थानीय नियम लागू होंगे।

अध्याय VIII - ऋण सुविधाओं पर अन्य अनुदेश

ए. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) की प्रतिभूति पर अग्रिम

103. बैंक सामान्य नियमों और शर्तों के अधीन राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों की प्रतिभूति पर अग्रिम प्रदान कर सकता है। हालांकि, बैंक उपचित ब्याज (यदि कोई हो) को ध्यान में रखे बिना राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों में मूल निवेश के मूल्य पर 25 प्रतिशत का मार्जिन निर्धारित करेंगे और ऐसे मूल्य के 75 प्रतिशत तक अग्रिम प्रदान करेंगे।

बी. अल्प बचत लिखतों/योजनाओं के अधिग्रहण के लिए ऋण की मंजूरी

104. अल्प बचत योजनाओं का मूल उद्देश्य अल्प बचतकर्ताओं को बचत का एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करना और बचत को बढ़ावा देना है, साथ ही लोगों में मितव्ययिता की आदत डालना है। ऐसी योजनाओं को प्राप्त करने / उनमें निवेश करने के लिए ऋण प्रदान करने से नई बचत को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि बैंक जमा के रूप में मौजूद बचत, अल्प बचत लिखतों में स्थानांतरित हो जाती है और इससे ऐसी योजनाओं का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसलिए, बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसान विकास पत्र सहित अल्प बचत लिखतों के अधिग्रहण/उनमें निवेश के लिए कोई ऋण प्रदान न किया जाए।

सी. हीरा निर्यातकों को प्रदत्त ऋण

105. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कॉन्फ्लिक्ट हीरों के किसी भी व्यापार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता न दी जाए और नॉन- कॉन्फ्लिक्ट हीरों का वैध व्यापार इससे प्रभावित न हो, बैंक उन ग्राहकों से एक वचनपत्र प्राप्त करेंगे जिन्हें हीरों से संबंधित किसी भी कारोबार के लिए ऋण प्रदान किया गया है। यह वचनपत्र अनुबंध-III में दिए गए प्रारूप में प्राप्त किया जा सकता है।

अध्याय IX – निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

106. इन निदेशों के जारी होने के साथ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू ऋण सुविधाओं से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 की परिपत्र द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।
107. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के तहत की गई या कथित तौर पर की गई या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उनके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों या अभिस्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके साथ, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के निरसन से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:
- (1) उसके तहत प्राप्त, अर्जित या उपगत किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता।
 - (2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती या सजा।
 - (3) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती, या सजा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही, या उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित, जारी या लागू किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती या सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

108. इन निदेशों के प्रावधान तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनकी अवहेलना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएँ

109. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से या इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध I

सीआईएमएस पोर्टल पर जमा किया जाने वाला डेटा

क्र. सं	डीएलए का नाम	डीएलए के मालिक का नाम (स्व-स्वामित्व वाला /यदि डीएलए, एलएसपी का है तो एलएसपी का नाम)	कहाँ पर उपलब्ध है (वेबसाइट/ऐप स्टोर का नाम)	डीएलए का लिंक#	शिकायत निवारण अधिकारी का नाम	शिकायत निवारण अधिकारी का ई-मेल आईडी	शिकायत निवारण अधिकारी का दूरभाष सं.	शिकायत निवारण अधिकारी का मोबाइल सं.	आरई का वेबसाइट

*प्रत्येक डीएलए को एक अलग लाइन आइटम के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि कोई डीएलए कई ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, तो प्रत्येक प्रविष्टि को ऐप स्टोर पर डीएलए के विशिष्ट लिंक के साथ अलग से रिपोर्ट करना आवश्यक है

यदि डीएलए एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट का लिंक प्रदान करें, या यदि डीएलए ऐप-स्टोर में से किसी एक पर होस्ट किया गया ऐप है, तो ऐप-स्टोर पर डीएलए का लिंक प्रदान करें

³[*****]

³ 1 अप्रैल, 2026 से हटा दिया गया ।

बैंकों द्वारा उन ग्राहकों से प्राप्त किए जाने वाले वचन-पत्र का प्रपत्र, जिन्हें हीरों से संबंधित कोई भी कारोबार करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है

"मैं इसके द्वारा वचन देता/देती हूँ कि मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प संख्या 1173, 1176 और 1343(2001) के तहत प्रतिबंधित कॉन्फ्लिक्ट हीरों में या अफ्रीका के किसी भी क्षेत्र (लाइबेरिया सहित) से आने वाले उन कॉन्फ्लिक्ट हीरों का जानबूझकर कोई कारोबार नहीं करूँगा/करूँगी जो संबंधित देश की वैध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले बलों के नियंत्रण में हैं, और आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प संख्या 1306(2000), जो सिएरा लियोन से सभी कच्चे हीरों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात को प्रतिबंधित करता है, और संकल्प संख्या 1343(2001), जो लाइबेरिया से ऐसे आयात को रोकता है, के संदर्भ में सिएरा लियोन और/या लाइबेरिया से सभी कच्चे हीरों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात नहीं करने का वचन देता/देती हूँ, चाहे ऐसे हीरे लाइबेरिया में उत्पन्न हुए हों या नहीं।

मैं यह सहमति भी देता/देती हूँ कि यदि किसी भी समय मुझे जानबूझकर ऐसे हीरों में कारोबार करने का दोषी पाया जाता है, तो मेरी सभी ऋण हकदारी को वापस ले लिया जाए।"